नस्तकारी पर ओ

(42)

267

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

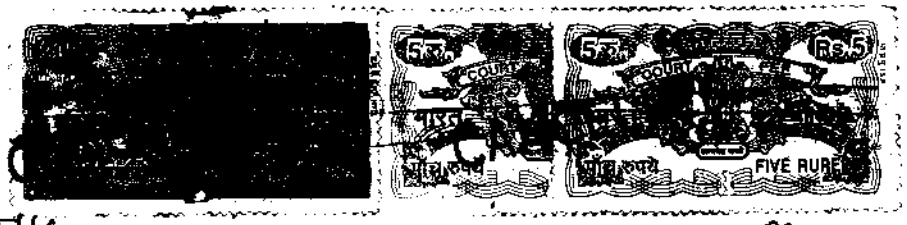

[redacted]

R5369 II/16

Rs.301—

कैलाश तनय महाबीर साहू ग्राम मलगो, तह0 माड़ा, जिला सिगरौली म0प्र0

— आवेदक

बनाम

— अनावेदक

म0प्र0 शासन

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार मांडा जिला सिगरौली आदेश दिनांक 13/06/16 प्रकरण क्रमांक 12/अ–6/11–12

प्रोधालकता श्री गिरीश अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत 12.9.16

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

संक्षिप्त

आवेदक के परिवार की पुस्तैनी कब्जे व दखल की आराजी कमांक पुराना 11/17 रकवा 1.200 है0 , आराजी क0 530 /6 रकवा 0.800 हे0 स्थित ग्राम मलगो , तह0 माडा जिला सिगरौली जिसका नया आराजी ख0 नं0 314 रकवा 0.73 ए0 ,469/2464 रकवा 0.15 हे0, 310 रकवा 0.26हे0, 307 रकवा 0.12 हे0, 294 रकवा 0.17 हे0, 291 रकवा 0.05 हे0, 298 रकवा 0.40 हे0, 210 रकवा 0.18 हे0, कुल 8 किता जुमला रकवा 2,06 हे0 है । आवेदक की इन भूमियों के सम्बन्ध में दिनांक 03/07/95 को जरिये प्रकरण कमांक 35 अ/9(4) 94–95 के माध्यम से श्रीमान नायब तहसीलदार प्रखंण्ड माडा ने दखल रहित उपबन्ध अधिनियम 1984 के अनुसार आवेदक एंव उसके परिवार के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि नहीं थी तब पंचायत की अनुशंशा प्राप्त होने पर आवेदक को आराजी क0 11/17 रकवा 1,200 हे0 एवं 530/6 रकवा 0.800 कुल दो किता रकवा 2.00 हे0 का भूमिस्वामी घोषित किया था तत्कालीन पटवारी को शासकीय अभिलेखों में संसोधन का आदेश पारित किया था तदनुसार आवेदक वतौर भूमिस्वामी शासकीय अभिलेखों में दर्ज हुआ । उसे भूमिस्वामित्व के अधिकार को कायम रखने हेतु ऋणपुस्तिका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई थी । सिगरौली जिले में बंदोबस्त की कार्यवाही में ग्राम मलगों की आवेदक की भूमियों को आवेदक के बजाय म0प्र0 शासन दर्ज कर दिया गया जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 31/01/12 को प्रार्थी के द्वारा नायब तहसीलदार महोदय के न्यायालय में अभिलेख दुरूस्तगी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु पटवारी प्रतिवेदन में मौके पर आवेदक के भूमि स्वामित्व के अभिलेखों के ताइद होने पर भी तहसीलदार महोदय ने प्रश्नाष्पद आदेश दिनांक 13/06/16 में यह लिखकर कि आवेदक के आवेदन पत्र की सुनवाई की अधिकारिता

M

(42)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5369-II/16

जिला–सिंगरौली

कैलाश साहू/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
05-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा स्वामी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील माड़ा के प्रकरण क्रमांक 12/अ–6/2011–12 एवं में पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	